खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध याचिका

1060. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो खादी भवन ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर क्या कार्यवाही की है ?

†[PETITION AGAINST DELHI ADMINISTRATION BY KHADI GRAMODYOG BHAWAN, NEW DELHI

1060. SHRIMATI VIDYAWATI CHATURVEDI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Khadi Gramodyog Bhawan New Delhi, had filed a petition against the Delhi Administration in the High Court; and

(b) if so, what action the Khadi Bhawan has taken on the decision of the High Court?]

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ । खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के एक कर्मचारी के साथ चल रहे एक झगड़े को श्रम न्यायालय को सौंपने के दिल्ली प्रशासन के आदेश के विरुद्ध खादी आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक याचिका प्रस्तुत की थी ।

(ख) चूंकि उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर नहीं की, इसलिये अब मामला श्रम न्यायालय में है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI M. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir; the Khadi Commission made a petition to the Delhi High Court against the order of the Delhi Administration referring a dispute with an employee of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi to the Labour Court.

(b) As the High Court did not grant the petition, the case is now in the Labour Court.]

सुपर बाजार में खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली की शाखा

1061. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार कनाट सर्कस में खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की एक शाखा खोली जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख से;

(ग) सुपर बाजार और खादी भवन के बीच हुए समझौते का विवरण क्या है ; और

(घ) इस शाखा पर होने वाले वार्षिक व्यय का मदवार ब्योरा क्या है ?

†[BRANCH OF KHADI GRAMODYOG BHAWAN NEW DELHI IN SUPER BAZAR

1061. SHRIMATI VIDYAWATI CHATURVEDI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a branch of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi is being opened in Super Bazar, Connaught Circus;

(b) if so, on what date;

(c) what are the details of the agreement entered into between the Super Bazar and the Khadi Bhawan; and

† [ ] English translation.

(d) what are the details of average annual expenditure, item-wise, to be incurred on this branch?]

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० शफी कुरेशी) : (क) सुपर बाजार में एक अनुभाग खोलने के लिये सुपर बाजार द्वारा दिये गये सुझाव पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विचार कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

†[THE DEPUTY MINISTER OF COMMERCE (SHRI M. SHAFI QURESHI): (a) The Khadi and Village Industries Commission is considering a proposal made by the Super Bazar to open a Section in the Super Bazar.

(b) to (d) Do not arise.]

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खादी ग्रामोद्योग भवन के विरुद्ध कार्यवाही

1062. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली पर मिलावटी शहद बेचने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था;

(ख) क्या न्यायालय में उनका अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें दण्डित किया गया और उन पर जुर्माना भी किया गया;

(ग) यदि हाँ, तो खादी आयोग के नियमों के अधीन इस गलत काम के लिए विभागीय रूप से जिम्मेदार ठहराये गये अधिकारी का नाम क्या है; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई?

†[ACTION AGAINST KHADI GRAMODYOG BHAWAN, NEW DELHI BY N.D.M.C.

1062. SHRIMATI VIDYAWATI CHATURVEDI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi were proceeded against by the New Delhi Municipal Committee for selling adulterated honey;

(b) whether they were convicted in the court and were awarded punishment and were also fined;

(c) if so, what is the name of the officer who was departmentally held responsible for this wrong act under rules of Khadi Commission; and

(d) what departmental action has been taken against him?]

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायालय ने निश्चय किया कि खादी ग्रामोद्योग भवन के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ तथा भवन के प्रबन्धक को बरी कर दिया गया। उप-प्रबन्धक (श्री एच० एल० जैन) दोषी सिद्ध हुए और उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 7,500 रुपये जुर्माने का दण्ड दिया गया। इसकी अपील कर दी गयी है।

(ग) तथा (घ) भवन का कोई अधिकारी अभी तक इस मिलावट के लिये विभागीय रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। विभागीय जांच करने का प्रश्न विचाराधीन है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI M. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

† [ ] English translation.